अध्याय III: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

3.1 कार्यालय स्थान के निष्प्रयोजन के कारण ₹5.04 करोड़ का परिहार्य व्यय

एनएफआरए और एनएफआरएए के परिचालित नहीं होने के कारण 22,875.91 वर्ग फुट माप के स्थान में से द्वितीय तल पर 7,203 वर्ग फुट माप के स्थान का उपयोग (सितंबर 2018) मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने नवम्बर 2016 से सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए संपूर्ण किराया योग्य स्थान के लिए कुल ₹16.04 करोड़ किराए का भुगतान किया। इसमें से ₹5.04 करोड़ 7,203 वर्ग फुट के अप्रयुक्त स्थान से संबंधित हैं। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा वास्तविक जरूरत को सुनिश्चित किये बिना पट्टे पर जगह लेने के परिणामस्वरूप ₹5.04 करोड़ धनराशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) ने कार्यालय आवास अपने कार्यालय/यूनिटों जिसमें कि कॉरपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) योजना, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपीलीय प्राधिकरण (एनएफआरएए) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के कार्यालय आवास के लिए 37,917 वर्ग फुट का स्थान किराये पर लेने के लिए खुली निविदा आमंत्रित (जून 2016) की।

तेरह फर्मों से सोलह निविदाएँ प्राप्त हुई थीं। निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के बाद नौ निविदाओं का वित्तीय निविदा खोलने हेतु चयन किया गया। निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने तकनीकी रूप से योग्य फर्मों के द्वारा प्रस्तुत परिसर को तीन वर्गों में विभाजित किया जैसे कि असुसज्जित (सात फर्में, एल-1 द्वारा ₹140 प्रति वर्ग फुट मासिक किराये का प्रस्ताव दिया गया), अर्धसुसज्जित (एक फर्म, तल की स्थिति के आधार पर, ₹175 प्रति वर्गफुट से ₹350 प्रति वर्ग फुट के बीच मासिक किराये का प्रस्ताव दिया गया) और सुसज्जित (एक फर्म, ₹340.96 प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक किराये का प्रस्ताव दिया गया)। सीडीएम और आईईपीएफए (जल्द ही कार्य योग्य बनाने हेतु) के लिए तत्काल कार्यालय स्थान की जरूरत थी। टीईसी का मत (अगस्त 2016) था कि असुसज्जित परिसर की मरम्मत के लिए अधिक समय की जरूरत थी और इसलिए अर्धसुसज्जित परिसर के पक्ष में जाना उचित होगा जिसमें कि जल्द ही कार्यालयों को कार्यशील बनाया जा सकता था और जरूरत के अनुसार मरम्मत कार्य को भी एक साथ किया जा सकता था। आगे, मंत्रालय और संबंधित संगठनों दोनों की विशिष्ट जरूरत और

स्थानीय लाभों पर विचार करने के बाद टीईसी ने अर्धसुसज्जित परिसर के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की निविदा स्वीकार करने की सिफारिश की।

मंत्रालय ने अर्धसुसज्जित परिसर (22,875.91 वर्ग फुट) के लिए एलआईसी द्वारा प्रस्तावित जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट की निविदा स्वीकार (सितंबर 2016) की। मंत्रालय (अक्तूबर 2016) ने 22,875.91 वर्ग फुट क्षेत्रफल को ₹45.24 लाख लागू कर अतिरिक्त के साथ मासिक किराये के पट्टे पर लेने के लिए करार किया। आईबीबीआई को मयूर विहार में स्थान आबंटित किया गया और अन्य चार कार्यालयों को जीवन विहार भवन में स्थान आबंटित किया गया। कार्यालयों अर्थात् सीडीएम और आईईपीएफए ने उन्हें आबंटित स्थान का उपयोग किया। पट्टे पर करार के एक महीने बाद, मंत्रालय ने प्रस्तावित (नवम्बर 2016) किया कि एनएफआरए/एनएफआरएए के परिचालित नहीं होने के कारण 11,844.07 वर्ग फुट माप के स्थान का एलआईसी को अभ्यर्पण किया जा सकता है। एलआईसी इस प्रस्ताव के साथ असहमत (दिसम्बर 2016) था और उसने कहा कि स्थान का आंशिक अभ्यर्पण संभव नहीं था चूंकि संपूर्ण इकाई एक एकीकृत इकाई थी। इस प्रकार, मंत्रालय के पास बिना किसी वास्तविक जरूरत के संपूर्ण स्थान को रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी, मार्च 2018 में एनएफआरए को अधिसूचित किया गया और सरकार ने एनएफआरएए के गठन को रद्द करने का निर्णय लिया और इसके सभी कार्यो को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दिया।

दस्तावेजों की जाँच के दौरान पाया गया कि एनएफआरए और एनएफआरएए के परिचालित नहीं होने के कारण 22,875.91 वर्ग फुट माप के स्थान में से द्वितीय तल पर 7,203 वर्ग फुट माप के स्थान का उपयोग मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सकता था। मंत्रालय ने नवम्बर 2016 से सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए संपूर्ण किराया योग्य स्थान के लिए कुल ₹16.04 करोड़ किराए का भुगतान किया था। इसमें से ₹5.04 करोड़, 7,203 वर्ग फुट के अप्रयुक्त स्थान से संबंधित हैं। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा वास्तविक जरूरत को सुनिश्चित किये बिना पट्टे पर जगह लेने के परिणामस्वरूप ₹5.04 करोड़ धनराशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

इस मामले को मंत्रालय को संदर्भित (सितंबर 2018) किया गया। इसके जवाब में मंत्रालय ने द्वितीय तल पर स्थित (7,203 वर्ग फुट) के स्थान का उपयोग नहीं होने के तथ्य को स्वीकार (सितंबर 2018) किया। मंत्रालय ने आगे कहा कि द्वितीय तल पर स्थित अप्रयुक्त कार्यालय योग्य स्थान का भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को उनकी उचित मांग को पूरा करने हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया

तथा आईबीबीआई का एक हिस्सा अब दूसरी मंजिल, जीवन विहार से कार्य कर रहा है। इसके अलावा, एनएफआरए का संचालन अक्टूबर, 2018 से किया जा रहा था। हालांकि, यह आठवीं मंजिल, एचटी बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110003 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में, नए कार्यालय में एनएफआरए द्वारा कब्जा किया गया स्थान 15,750 वर्ग फुट है और इसका मासिक किराया ₹340.58 प्रति वर्ग फुट (जीएसटी छोड़कर) है। इस स्थान के अलावा, एनएफआरए को 15,750 वर्ग फुट स्थान उपरोक्त कार्यालय परिसर के सातवें तल पर आबंटित किया गया है, जो नवीकरण के अधीन है।

इस प्रकार मंत्रालय द्वारा किराए योग्य स्थान को वास्तविक जरूरत के बिना पट्टे पर लेने के परिणामस्वरूप ₹5.04 करोड़ धनराशि का किराए के रूप में सितंबर 2018 तक परिहार्य भुगतान किया गया था।